He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग **[]--खण्ड** 3--उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] No. 258] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2009/वैशाख 11, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2009/VAISAKHA 11, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुदा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 3 फरवरी, 2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2008

सा.का.नि. 299(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (1) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसम्पत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 21/2000-आर बी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसम्पत्ति का अर्जन और अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।
- (ख) वे इन विनियमावली में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू समझे जाएंगे ।
- 2. विनियम 6 में संशोधन.—3 मई, 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसम्पत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा. 21/2000-आरबी) में, विनियम 6 में खण्ड (ख) में उप-खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित 1649 GI/2009

खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 11 जुलाई, 2008 से अंतःस्थापित किया गया अर्थात :---

"(ग) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी) के प्रावधानों के तहत भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लिये गये बाह्य वाणिज्य उधार की अदायगी न कर पाने की स्थिति में, एक बैंक जो कि प्राधिकृत व्यापारी बैंक हो, समुद्रपारीय उधारदाता अथवा प्रतिभूति न्यासी (बाह्य वाणिज्य उधार की जमानत के लिए जिस अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण लिया गया है) को, उक्त ऋण न किसी अन्य ऋण के संबंध में, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को वह अचल सम्पत्ति बेचने और उससे प्राप्त राशि प्रत्यावर्तित करने की अनुमित दे सकता है।"

3. विनियम 8 में संशोधन.—मूल विनियमावली के विनियम 8 में, उपबंध के बाद, निम्नलिखित उपबंध अंत:स्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसे 11 जुलाई, 2008 से अंत:स्थापित किया गया है अर्थात्,—

"परंतु, प्राधिकृत व्यापारी बैंक, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों की शर्त पर विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधि-सूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी) के प्रावधानों के तहत, लिये गये बाह्य वाणिज्य उधार की जमानत के लिए भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अथवा समुद्रपारीय उधारदाता अथवा प्रतिभूति न्यासी को भारत में उसकी अचल परिसंपत्ति पर ऋण-भार सृजित करने वाले ऐसे निवासी की ओर से अनुमति दे सकता है।"

> [सं. फेमा 186/2009-आर बी] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (1) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

- (2) मूल विनियमावली 8 मई, 2000 को मं. सा.का.नि. 407(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:
 - (i) 19-8-2002 की सं. सा.का.नि. 578(अ)
 - (ii) 22-7-2003 की सं. सा.का.नि. 557(अ)
 - (iii) 3-3 2006 की सं. सा.का.नि. 130(अ)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd February, 2009

Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India)(Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 299(E).—In exercise of the powers conterred by clause (1) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act. 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 21/2000-RB, dated May 3, 2000), namely:

- 1. Short Title and Commencement.—— (a) these Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2009.
- (b) They shall be deemed to have come into force from the dates specified in these regulations.
- 2. Amendment of Regulation 6.—In the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 21/2000-RB, dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as the 'principal regulations') in Regulation 6, in clause (b) after sub-clause (iii), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 11th July, 2008, namely.
- "(c) In the event of failure in repayment of external commercial borrowing availed by a person resident in India under the provisions of the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations;

2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB, dated 3-5-2000) a bank which is an authorised dealer may permit the overseas lender or the security trustee (in whose favour the charge on immovable property has been created to secure the ECB) to sell the immovable property on which the said loan has been secured only to a (by the) person resident in India and to repatriate the sale proceeds towards outstanding dues in respect of the said loan and not any other loan."

3. Amendment to Regulation 8.—In the principal Regulations, in Regulation 8, after the proviso, the following new proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 11th day of July, 2008, namely,—

"Provided further that a bank which is an authorised dealer may, subject to the directions issued by the Reserve Bank in this behalf, permit a person resident in India or on behalf of such person to create charge on his immovable property in India in favour an overseas lender or security trustee, to secure an external commercial borrowing availed under the provisions of the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB, dated 3-5-2000)."

[No. FEMA 186/2009-RB]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Footnotes:—-(i) Certified that no person shall be adversely affected by the retrospective effect given to such Regulations.

- (ii) The principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 407(E) dated 8th May, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:
 - (i) No. G.S.R. 578(E) dated 19-8-2002
 - (ii) No. G.S.R 557(E) dated 22-7-2003
 - (iii) No. G.S.R. (30(E) dated 3-3-2006

अधिसूचना

मुम्बइ, 3 फरवरी, 2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 300(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (अ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतददारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिमूचना सं. फेमा. 8/2000-आर बी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे ।

- (ख) वे इन विनियमावली में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू समझे जाएंगे ।
- 2. विनियम 5 में संशोधन.—3 मई, 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा. 8/2000-आरबी) में, विनियम 5 में, खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड स्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 11 जुलाई, 2008 से अंतःस्थापित किया गया है, अर्थात् :—

"(घ) कोई बैंक, जो कि प्राधिकृत व्यापारी है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस पक्ष में जारी निदेशों के अधीन, भारत के निवासी व्यक्ति को अथवा उस व्यक्ति के पक्ष में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 (3-5-2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी) के प्रावधानों के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्य उधार सुरक्षित करने के लिए समुद्रपारीय उधारदाता अथवा सुरक्षान्यासी के पक्ष में गारंटी जारी करने के लिए अनुमति दे सकता है।"

[सं. फेमा 187/2009-आर बी]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी.—(1) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (2) मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 391(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:
 - (i) 19-8-2002 की सं. सा.का.नि. 575(अ)
 - (ii) 16-11-2004 की सं. सा.का.नि. 745(अ)
 - (iii) 9-2-2005 की सं. सा.का.नि. 61(अ)
 - (iv) 14-3-2007 की सं. सा.का.नि. 196(अ)।

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd February, 2009

Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 300(E).—In eercise of the powers conferred by clause (j)) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000 - RB dated May 3, 2000), namely:

- 1. Short title and commencement.—(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2009.
- (b) They shall be deemed to have come into force from the dates specified in these regulations.

- 2. Amendment of Regulation 5.—In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000-RB) dated May 3, 2000, in Regulation 5, after clause (c), the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 11th July, 2008, namely:—
 - "(d) a bank which is an authorised dealer may, subject to the directions issued by the Reserve Bank in this behalf, permit a person resident in India or on behalf such person to issue guarantee in favour of an overseas lender or security trustee to secure an external commercial borrowing availed under the provisions of the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB, dated 3-5-2000)."

[No. FEMA 187/2009-RB]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Footnotes:—(i) Certified that no person shall be adversely affected by the retrospective effect given to such Regulations.

- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R 391 (E) dated 5th May, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended *vide*:
 - (i) No. G.S.R. 575 (E) dated 19-8-2002
 - (ii) No. G.S.R. 745 (E) dated 16-11-2004
 - (iii) No. G.S.R. 61 (E) dated 9-2-2005
 - (iv) No. G.S.R. 196 (E) dated 14-3-2007.

अधिसचना

मुम्बई, 3 फरवरी, 2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन, विनियमावली, 2009)

सा.का.नि. 301(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004) (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,—(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।
 - (ख) ये विनियमों में निर्दिष्ट तारीख से लागू माने जाएंगे।

- 2. विनियम 2 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (? जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) (अब सं आगे 'मूल विनियम' के रूप में उल्लिखित) के विनियम 2 में.—
- (i) परंतुक (द) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा और यह माना जाएगा कि 23 सितम्बर, 2008 से अंतःस्थापित किया गया हो, अर्थात् :—
- (ध) ''विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड का तात्पर्य है, विदेशी मुद्रा में व्यक्त बॉण्ड, जिसका मूल तथा ब्याज विदेशी मुद्रा में देय हो. किसी कम्पनी द्वारा जारी तथा भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत हो और जो किसी भी प्रकार से पूर्णत्या अथवा आंशिक रूप से डेबिट लिखतों से संबद्ध किसी इंक्विटी के आधार पर प्रस्तावकर्ता कम्पनी के शेयरों में विनिमेय हो।'
- (न) निर्गम कम्पनी का तात्पर्य उस कम्पनी से हैं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत हो और जिसकी इन बिनियमों के तहत विदेशी मुद्रा विनियम बांड जारी करने की पात्रता हो ।
- (प) ''प्रवर्तक समूह'' का वही अर्थ है जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रकटीकरण तथा निवेशक संरक्षण) विनिमावली, 2000 में परिभाषित किया गया है।
- (ii) परंतुक (ध) को (ब) के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है ।
- 3. विनियम 21 का संशोधन.—(i) मूल विनियमावली के खण्ड-III में, विनियम 21 में, उप-विनियम (2) के परंतुक (ii) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और यह मानः आएगा कि 23 सितम्बर, 2008 से समाविष्ट किया गया हो, अर्थात् :—
 - "(iii) भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति से अनुसूची IV में निर्धारित शर्तों के अनुसार तथा शर्तों के अधीन भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा विनिमंय बाण्ड जारी कर सकता है।"
- 4. नई अनुसूची का समावेशन.—(ii) मूल विनयमावली की अनुसूची-III के बाद निम्नलिखित अनुसूची समाविष्ट की जाएगी और यह माना जाएगा कि 23 सितम्बर, 2008 से समाविष्ट की गई हो, अर्थात् :-

अनुसूची-IV [विनियम 21(2) देखें]

विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड (एफसीईबीएस)

- मुद्रा : विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड (एफसीईबी) किसी सुलभ परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में नामित किए आएंगे ।
- पात्र जारीकर्ता : जारीकर्ता कम्पनी प्रस्तावकता कम्पनी के प्रवर्तक समूह का भाग होगी और विदेशी भुद्रा विनिमय बाँण्ड जारी करते समय प्रस्तुत इक्विटी शेयर/शेयर्स धारित करेगी।
- प्रस्तावकर्ता कम्पनी: सूचीबद्ध कम्पनी होगी जो विदेशी
 प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने के लिए उचित क्षेत्र में लगी है और विदेशी

मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा त्राह्म वाणिज्य उधार (ईसीबी) जारी करने अथवा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

- 4. विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफ सी ई बी) जारी करने के लिए अपात्र कम्पनियां : ऐसी कम्पनी जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार में पहुंचने में रोक लगा दी गई है, सहित कोई भारतीय कम्पनी जो भारतीय प्रतिभूति बाजार से निधि उठाने के लिए पात्र नहीं है, विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड जारी करने के लिए पात्र नहीं है।
- 5. **पात्र अभिदाता**: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का पालन करने वाली और विदेशी मुटा विनिमय बॉण्ड जारी करते समय क्षेत्रीय उच्चतम सीमा का अनुसरण करने वाली संस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड में अभिदान कर सकती हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत जहां आवश्यक हो, विदेशी निवेश प्रवर्तक बोर्ड का पूर्वानुमादन प्राप्त करना चाहिए।
- 6. विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड में अभिदान करने के लिए अपात्र कम्पनियां : भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभृतियां खरीदने, बेचने अथवा लेन-देन करने के लिए निषिद्ध समझी गई कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं हैं :

विदेशी मुद्रा चिनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) से प्राप्त आगत प्रयोजनपरक उपयोग-निर्गम कम्पनी

- (i) विदेशो मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) से प्राप्त आगतों को भारत के बाहर की निर्गम कम्पनी द्वारा संयुक्त उद्यमों अथवा विदेश के पूर्ण स्वामित्व प्रतिष्ठानों में, संयुक्त उद्यमों अथवा विदेश के पूर्ण स्वामित्व प्रतिष्ठानों में समुद्रपारोय निवेशों के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अधीन निवंश महित प्रत्यक्ष निवेश के जिए निवेशित किया जा सकता है
- (ii) निर्गम कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड (एफसीईबी) से प्राप्त आगमों को प्रवर्तक समूह कम्पनियों में निवेशित किया जा सकता है ।
- 8. प्रवर्तक समृह कम्पनियां,—विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड (एफसीईबी) से होने वाली आय प्राप्त करने वाली प्रवर्तक समृह कम्पनियां, विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) से प्राप्त आय का. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्धारित प्रयोजनपरक उपयोग कर सकते हैं:
- 9. अन्तिम उपयोग अनुमत नहीं.—इस प्रकार के निवेश प्राप्त करने वाली प्रवर्तक समृह कम्पनियों को भारत में एफसीबी से होने वाली आय को पूंजी-वाजार अथवा स्थावर सम्पदा में निवेश करने की अनुमति नहीं दो जाएगी।
- 10. समग्र-लागत.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 3/2000-आरबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसको तरफ से जारी दिशा निदेशों में यथानिर्धारित, एफसीईबी पर देय ब्याज तथा विदेशी मुद्रा में किए गए निर्गम व्यय समग्र लागत सीमा के भीतर होंगे।

- 11. विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) की मूल्य सूची.—विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) निर्गम के समय प्रस्तावित सूचीबद्ध इक्विटी शेयर का विनिमय मूल्य निम्नलिखित दो के उच्चतर मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।
- (i) शेयर बाजार में उपयुक्त तारीख से पूर्ववर्ती छ: माह के दौरान, प्रस्तुतकर्ता कम्पनी के शेयरों के ऑतिम मूल्य के लगाए गए उच्च तथा निम्न मूल्य का साप्ताहित औसत ।
- (ii) शेयर बाजार में उपयुक्त तारीख से पूर्ववर्ती दो सप्ताह के दौरान, प्रस्तुतकर्ता कम्पनी के शेयरों के ऑतिम मूल्य के लगाए गए उच्च तथा निम्न मूल्य का साप्ताहित औसत ।

परन्तुक (i) तथा (ii) की व्याख्या: उपर्युक्त तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को निर्गम कम्पनी का निदेशक मण्डल, विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) के निर्गम अधिकृत करते हुए प्रस्ताव पारित करता है।

12. औसत परिपक्वता,—विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) की न्यूनतम परिपक्वता पांच वर्ष होगी ।

प्रतिदान की नियत तारीख के पहले कभी भी विनिमय का विकल्प दिया जा सकता है। विनिमय का विकल्प देने पर विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) धारक को प्रस्तुत शेयरों को सुपुर्दगी लेनी होगी। विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) के नकदी निपटान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 3/2000-आरबी) और इस अधिसूचना के आधार पर समय-समय पर भरतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) की आगम राशि, निर्गम कम्पनियों/प्रवर्तक समूह की कम्पनियों द्वारा विदेशों में रखी जाएगी/पुनर्नियोजित की जाएंगी।

- 13. विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) की आगम राशि विदेशों में रखना.—विदेशों मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) की आगम राशि, निर्गम कम्पनियों/प्रवर्तक समूह कम्पनियों द्वारा विदेशों में रखी जाएंगी/पुनर्नियोजित की जाएंगी। यह निर्गम कम्पनी को जिम्मेदारी है कि वह सुनिक्षित करें कि प्रवर्तक समूह कम्पनी, विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) की आगम राशि का उपयोग बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्धारित केवल अनुमत प्रयोजन-परक कार्यों के लिए ही करें। निर्गम कम्पनी पी निर्गम कम्पनी/प्रवर्तक समूह कम्पनियों द्वारा आगम राशि के उपयोग की, नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।
- 14. परिचालनगत प्रक्रिया : विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 3/2000-आरबी) में यथानिर्दिष्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वअनुमोदन अपेक्षित है।

15. रिपोर्टिंग: बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 3/2000-आरबी) के प्रावधान, विदेशी मुद्रा विनिमय बॉण्ड (एफसीईबी) पर भी लागू है।

[सं. फेमा 188/2009-आर बी]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: (1) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (2) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में माग II, धारा 3, उप-धारा (i) में 19 नवम्बर, 2004 की सं. सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—
 - (i) 7 अप्रैल, 2005 की सं. सा.का.नि. 220(अ)
 - (ii) 27 मई, 2005 को सं. सा.का.नि. 337(अ)
 - (iii) 31 अगस्त, 2005 की सं. सा.का.नि. 552(अ)
 - (iv) 6 सितम्बर, 2006 की सं. सा.का.नि. 535(अ)
 - (v) 5 जनवरी, 2008 की सं. सा.का.नि. 13(अ)
 - (vi) 27 मई, 2005 की सं. सा.का.नि. 209(अ)
 - (vii) सं. 172/12-12-2007
 - (viii) 24 सितम्बर, 2008 की सं. सा.का.नि. 676(अ)
 - (ix) 31 अक्तूबर, 2008 की सं. सा.का.नि. 756(अ)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd February, 2009

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 301(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004), namely:—

- 1. Short title and commencement.—(a). These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2009.
- (b) They shall be deemed to have come into force from the dates specified in these regulations.
- 2. Amendment to Section 2.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No.

FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004) (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2.

- (i) after clause (r), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from September 23, 2008, namely:—
 - "(s) "Foreign Currency Exchangeable Bond means a bond expressed in foreign currency, the principal and interest in respect of which is payable in foreign currency, issued by an issuing company and subscribed to by a person who is a resident outside India in foreign currency and exchangeable into equity share of offered company, in any manner, either wholly, or partly or on the basis of any equity related warrants attached to beht instruments.
 - (t) "issuing company" means a company registered under the Companies Act. 1956 (1 of 1956) and eligible to issue Foreign Currency Exchangeable Bond under these regulations.
 - (u) "offered company" means a company registered under the Companies Act. 1956 (1 of 1956) and whose equity share s is are offered in exchange of the Foreign Currency Exchangeable Bond.
 - (v) "promoter group" has the same meaning as defined in the Securities and Exchange Board of India (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000."
 - (ii) clause (s) shall be renumbered as '(w)
 - 3. Amendment to Regulation 21.— In Part III, in regulation 21 of the principal regulations, after clause (ii) of sub-regulation (2), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from September 23, 2008, namely is a
 - "(iii) may issue Foreign Currency Exchangeable Bonds to a person resident outside India in accordance with and subject to the conditions specified in Schedule IV with the specific approval of the Reserve Bank."
 - 4. Insertion of new schedule.—After Schedule III of the principal regulations, the following new Schedule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from September 23, 2008, namely

"Schedule IV

[See Regulation 21 (2)]

Foreign Currency Exchangeable Bonds (FCEBs)

 Currency:—The FCEB may be denominated in any freely convertible foreign currency.

- 2. Eligible Issuer.—The issuing company shall be part of the promoter group of the offered company and shall hold the equity share s being offered at the time of issuance of FCEB.
- 3. The Offered Company.—The Offered Company shall be a listed company which is engaged in a sector eligible to receive Foreign Direct Investment and eligible to issue or avail FCCB or External Commercial Borrowings (ECB).
- 4. Entities not eligible to issue FCEB.—An Indian company, which is not eligible to raise funds from the Indian securities market, including a company which has been restrained from accessing the securities market by the SEBI shall not be eligible to issue FCEB.
- 5. Eligible Subscriber. -- Entities complying with the Foreign Direct Investment policy and adhering to the sectoral caps at the time of issue of FCEB can subscribe to FCEB. Prior approval of Foreign Investment Promotion Board, wherever required under the Foreign Direct Investment policy, should be obtained.
- 6. Entities not eligible to subscribe to FCEB.— Entities prohibited to buy, sell or deal in securities by the SEBI will not be eligible to subscribe to FCEB.

7. End-use of FCEB proceeds: Issuing Company:

- (i) The proceeds of FCEB may be invested by the issuing company outside India by way of direct investment including in Joint Ventures or Wholly Owned Subsidiaries abroad, subject to the existing guidelines on Overseas Investment in Joint Ventures or Wholly Owned Subsidiaries (abroad).
- (ii) The proceeds of FCEB may be invested by the issuing company in the promoter group companies
- 8. Promoter Group Companies.—Promoter Group Companies receiving investments out of the FCEB proceeds may utilise the FCEB proceeds in accordance with end-uses prescribed under the External Commercial Borrowings policy
- 9. End-uses not permitted.—The promoter group companies receiving such investments will not be permitted to utilise the proceeds for investments in the capital market or in real estate in India.
- 10. All-in-cost. The rate of interest payable on FCEB and the issue expenses incurred in foreign currency shall be within the all-in-cost ceiling as provided in the Foreign Exchange Management (Borrowing of Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 3/2000-RB, dated May 3, 2000) and the directions issued in that behalf by the Reserve Bank of India.
 - 11. Pricing of FCEB.—At the time of issuance of

FCEB, the exchange price of the offered listed equity shares shall not be less than the higher of the following two:

- (i) The average of the weekly high and low of the closing prices of the shares of the offered company quoted on the stock exchange during the six months preceding the relevant date; and
- (ii) The average of the weekly high and low of the closing prices of the shares of the offered company quoted on a stock exchange during the two week preceding the relevant date.

Explanation to clause (i) and (ii): "Relevant date" means the date on which the Board of directors of the issuing company passes the resolution authorizing the issue of FCEB.

11. Average Maturity.—Minimum maturity of FCEB shall be five years. The exchange option can be exercised at any time before redemption. While exercising the exchange option, the holder of the FCEB shall take delivery of the offered shares. Cash (Net) settlement of FCEB shall not be permissible.

The proceeds of FCEB shall be retained and/or deployed overseas by the issuing/Group Companies in accordance with the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000,

(FEMA 3/2000-RB, dated May 3, 2000) and the directions issued in that behalf by the Reserve Bank from time to time.

12. Parking of FCEB proceeds abroad.—The proceeds of FCEB shall be retained and/or deployed overseas by the issuing/promoter group companies in accordance with the policy for the ECB. It shall be the responsibility of the issuing company to ensure that the proceeds of FCEB are used by the promoter group company only for the permitted end-uses prescribed under the ECB policy. The issuing company should also submit audit trail of the end-use of the proceeds by the

issuing company/promoter group companies to the Reserve Bank duly certified by the designated Authorised Dealer bank.

- 13. Operational Procedure.—Issuance of FCEB shall require prior approval of the Reserve Bank of India as specified in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 3/2000-RB, dated May 3, 2000).
- 14. Reporting.—The provisions of the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 3/2000-RB, dated May 3, 2000) with regard to reporting of external commercial borrowings shall apply to FCEB."

[No. FEMA 188/2009-RB]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Footnote.—(i) Certified that no person shall be adversely affected by the retrospective effect given to such regulations.

- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide No. G.S.R. 757 (E) dated November 19, 2004 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:
 - (i) No. G.S.R. 220(E) dt. 7-4-2005
 - (ii) No. G.S.R. 337(E) dt. 27-5-2005
 - (iii) No. G.S.R. 552(E) dt. 31-8-2005
 - (iv) No. G.S.R. 535(E) dt. 6-9-2006
 - (v) No. G.S.R. 13(E) dt. 5-1-2008
 - (vi) No. G.S.R. 209(E) dt. 27-5-2008
 - (vii) Yet to be Published No. G.S.R. 172(E) dt. 12-12-2007
 - (viii) No. G.S.R. 676(E) dt. 24-9-2008
 - (ix) No. G.S.R. 756(E) dt. 31-10-2008